न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।
उपस्थितः अलख कुमार, एच.जे.एस.
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–674/2026
UPMH010024192026

कयामुद्दीन पुत्र थारू मियां उम्र 22 वर्ष
निवासी–बीरगंज, थाना पोखरियां जनपद–परसा, नेपाल राष्ट्र।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य,

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–204/2023
धारा–8/22/23 NDPS Act
थाना–सोनौली
जिला–महराजगंज

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

<u>02.07.2026</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त कयामुद्दीन पुत्र थारू मियां की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 204/2023 अन्तर्गत धारा–8/22/23 NDPS Act थाना–सोनौली, जिला–महराजगंज प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ कुतबुद्दीन धुनिया की ओर से इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि वह अभियुक्त का रिश्तेदार तथा पैरवीकार मुकदमा है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

2. उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान् विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किया।

3. अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से जमानत का यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को झूठे व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है। तथाकथित अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है जिसका कोई स्पष्टीकर नहीं है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थी का घर नेपाल राष्ट्र में है परन्तु प्रार्थी का घर भारत नेपाल बार्डर के समीप है वहुधा नेपाल बार्डर समीप होने के कारण भारत में आकर अपने आवश्यकता के सामान खरीदते हैं। तथाकथित घटना दिनांक एवं समय को प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई घटना कारित नहीं हुई थी और न ही प्रार्थी के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी ही हुई थी। संबंधित एस०एस०बी० के लोगों द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और उससे नाजायज तौर पर धन लेकर असली अभियुक्त को छोड़ दिया गया तथा प्रार्थी को उक्त फर्जी मामले में संलिप्त दिखाते हुए फर्जी बरामदगी दिखाते हुए चालान कर दिया गया। उक्त मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 का अनुपालन नहीं किया गया है और दिखायी गयी बरामदगी

का स्वतंत्र गवाह के संबंध न होकर इन लोगों के मेली–मददगारान के समक्ष है। यह कि प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय में एन०डी०पी०एस० एक्ट के मान्य कानूनो का पालन नहीं किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में न तो दाखिल और न ही खारिज है एवं मा० उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकृत करते हुए प्रार्थी को जमानत मुचलके पर रिहा किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त कारण से प्रार्थी की जमानत स्वीकृत कर प्रार्थी को जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा करें।"

4. अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में एस.एस.बी. और पुलिस टीम द्वारा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से प्रतिबन्धित केयरजैक डायजापाम इन्जेक्शन 50 एम्पुल व टालजेसिक बुप्रेनर्फिन इंजेक्शन 30 एम्पुल बरामद हुआ। बरामद अवैध टालजेसिक बुप्रेनर्फिन इंजेक्शन वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। ऐसी परिस्थिति में जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

5. केस डायरी और अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.12.2023 को एस.एस.बी. टीम और थाना सोनौली की पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त के पास से प्रतिबन्धित केयरजैक डायजापाम इन्जेक्शन 50 एम्पुल व टालजेसिक बुप्रेनर्फिन इंजेक्शन 30 एम्पुल किया गया। प्रस्तुत मामले में बरामद अवैध टालजेसिक बुप्रेनर्फिन इंजेक्शन वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। ऐसी परिस्थिति में धारा–37(1)(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिए गये प्रावधान के दृष्टिगत न्यायालय के समक्ष यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध का दोषी नहीं है, एवं जमानत पर रिहा होने के पश्चात् वह इस प्रकार के किसी अपराध में पुनः संलिप्त नही होगें। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त की घटना में संलिप्ता से इंकार किये जाने का कोई युक्ति–युक्त और औचित्यपूर्ण आधार दर्शित नही होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत दिए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

6. आवेदक/अभियुक्त कयामुद्दीन पुत्र थारू मियां द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–674/2026 मुकदमा अपराध संख्या–204/2023 धारा–8/22/23 NDPS Act थाना–सोनौली, जिला–महराजगंज निरस्त किया जाता है।

7. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदकगण/अभियुक्तगण को उपलब्ध कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक, महराजगंज को जरिए ई–मेल या ई–प्रिजन पोर्टल के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Policy Strategy for Grant of Bail, In Re Suo Moto Writ Petition (Crl.) No. 4 of 2021 decided on 31.01.2023 reported in (2024) 10 SCC 485** में पारित आदेश का अनुपाल सुनिश्चित हो सके।

दिनांकः02.07.2026

(अलख कुमार)
आई.डी. नम्बर–यू.पी.3826
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–2,
महराजगंज।

Digitally signed by ALAKH KUMAR
Date: 2026.07.04 16:10:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court